न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर

उनवान – सरकार बनाम सुरेश कुमार शेषमा

मुकदमा न. 53/16/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

23.01.2017

पत्रावली पेश हुई खादयसुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी सुरेश कुमार शेषमा पुत्र तुलछाराम शेषमा निवासी हरिपुरा वार्ड नं. 24 लोसल मैसर्स– शेषमा ट्रेडिंग कम्पनी हरिपुरा वार्ड नं. 24 लोसल जिला सीकर उपस्थित। बहस सुनी गई एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी नम्बर एफ–529 वस्तु लालमिर् पाउडर (परमहंस) का नमूना लिया गया । राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण मिस बॉन्ड/अमानक का पाया गया है। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किय परन्तु अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर बताते हुये कम से कम जुर्मान लगाने का अनुरोध किया परन्तु में निर्माता कम्पनी स्वयं पार्टी है कम्पनी के कारोबार को मध्य नजर रखते हुये खादय एवं मानव अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थी सुरेश कुमार शेषम के 2000/– रुपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जा है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये वरना अप्रार्थी के विरु इस अधिनियम के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुम होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो

निर्णय सुनाया गया ।